न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 87 / 2017 / बाड़मेर

अपीलांट	रेस्पोडेंटगण
जोगाराम पुत्र सोनाराम जाति कलबी निवासी जूड़ी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर	1. धापू पत्नी जगाराम कलबी निवासी मगा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी 2. राउ पुत्री सोनाराम जाति कलबी निवासी जैसावास तहसील बागौड़ा जिला जालोर 3. भीखी पुत्री सोना पत्नी हीरा जाति कलबी निवासी जैसावास तहसील बागौड़ा जिला जालोर 4. केसर पुत्री सोना पत्नी हरदास जाति कलबी निवासी मगा की ढाणी तहसील गुड़ामालानी 5. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक शाखा गुड़ामालानी 6. शाखा प्रबन्धक भारतीय स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा गुड़ामालानी 7. राजस्थान राज्य जरीय तहसीलदार गुड़ामालानी

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 19 / 2017 बअनवान धापू बनाम जोगाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2017 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री नारायण कुमावत अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री हरीराम विश्नोई रेस्पोडेंट की ओर से।

निर्णय

दिनांकः—31.08.2022

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा प्रेमनगर पटवार क्षेत्र सिंधासवा हरनियान के खेत खसरा संख्या 23 रकबा 61.14 बीघा, मौजा जूड़ी पटवार क्षेत्र सिंधसवा हरनियान के खेत खसरा संख्या 89 रकबा 03 बीघा व खसरा संख्या 97 रकबा 17.05 बीघा व मौजा सिन्धासवा चौहान पटवार क्षेत्र भाखरपुरा के खेत खसरा संख्या 18 रकबा 16.05 बीघा, खसरा संख्या 62 रकबा 07.01 बीघा का वादीनी के दादा स्व. धीरा पुत्र रगा के कब्जा काश्त का था। धीरा के फोत होने पर आराजी वादीनी के पिता सोना के अंकित हुई। सोना फोत होने पर नामान्तकरण

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

संख्या 199 व 610 दिनांक 20.02.2006 से वादीनी के हक महरूम हो गये। वादीनी का जन्म से ही हक हिस्सा बनता है। इस कारण वीदीनी का 1/5 हिस्सा की खातेदारी घोषित की जावे। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित किया गया जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की जा रही है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि विधि का यह सुस्थापित नियम है कि वाद में सभी प्रतिवादीगण की तलबी जारी कर बाद तामीली प्रतिवादीगण को सुनवाई का समुचित अवसर व जबाव पेश करने के बाद तनकीयात कायम की जाकर दोनों पक्षों की साक्ष्य ली जाकर स्वतंत्र निर्णय पारित करे लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तनकियात कायम की जाकर तथा बिना साक्ष्य के निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री कैम्प कोर्ट में पारित की गई जबकि लोक अदालत में केवल सहमति के आधार पर मामला निर्णित किया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजा पर पदर्श भी अंकित नहीं किया गया जो पत्रावली में पढे नहीं जा सकते। उतरदाता संख्या 01 ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद धारा 6 हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत पेश की अनुतोष चाहा गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी धारा 6 हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत अनुतोष दिया गया। धारा 6 हिन्दु उतराधिकारी अधिनियम के अनुसार पिता के जीवनकाल में हक हिस्सा की घोषणा संबंधि है जबकि उक्त वाद के तथ्य भिन्न है, पक्षकारान का पिता जीवत नहीं है। ऐसी स्थिति में वाद विधि द्वारा वर्जित होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है। अपीलांटगण अपीलाधीन आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार है जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन किये बिना पारित की गई। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:-

RRT 2015(2) Page 990

RRT 2018(2) Page 864

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

RRT 2018-19(Supp.) Page 394

RRT 2019(2) Page 1451

RRT 2016(1) Page 712

RRT 2019(1) Page 748

RRT 2019(1) Page 509

वकील रेस्पोडेंट ने अपनी बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि है जिसमें रेस्पोडेंट/वादीनी का जन्म से ही हक नियत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अपीलांट की उपस्थिति में पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद को दर्ज किया गया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी किये गये। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष जबावदावा पेश किया गया। दोनों पक्षों की बाद समुचित सुनवाई अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि नहीं है। अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील रेस्पोडेंटस को तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित किया गया। अतः अपीलांट की अपील मय खर्चा खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलाधीन आराजी पैतृक है। जिसमें वादीनी का जन्म से ही अधिकार है। वादीनी सोनाराम वल्द श्री धीराराम की जायन्दा संतान है और इन्हे उत्तराधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। सोनाराम वल्द श्री धीराराम की पैतृक सम्पत्ति में वादीनी का जन्म से ही हिस्सा है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा पेश जबावदावा, तथा प्रतिवादी संख्या 02 से 04 द्वारा दिनांक 24.06.2017 को पेश प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी पी सी वास्ते वाद पत्र खारिज फरमाने में वादीनी को सोनाराम की पुत्री स्वीकार किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में दिनांक 24.06.2017 को उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित संपूर्ण प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

त्रुटि नहीं है। अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। प्रतिवादीगण स्वयं ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश प्रार्थना–पत्र एवं जबावदावे में रेस्पोडेंट/वादीनी को सोनाराम की पुत्री स्वीकार किया गया है जब प्रतिवादी स्वयं की स्वीकारोक्ति है कि वादीनी सोनाराम की पुत्री है तो उसके पश्चात प्रकरण मे तनकी कायम किया जाना आवश्यक नहीं है। अपीलाधीन आराजी पैतृक भूमि होने से अधीनस्थ न्यायलाय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि सम्मत पारित की गई। मेरी सुविचारित राय में अपील खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी द्वारा राजस्व वाद संख्या 19/2017 बअनवान धापू बनाम जोगाराम में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2017 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिभा पिलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 31.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर